नवोदय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर-3 फोन : 62587 P.P.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, रतननगर (राज०)

सभा की कार्यवाही पंजिका

8

दिनांक 31-12-2015 सभा की किस्म साधारण समय 11:00 AM कुल सदस्यों की संख्या 15+4=19 उपस्थित सदस्यों की संख्या 17

विषय (लाल स्याही में) अंकित प्रस्तावानुसार (कुल प्रस्ताव - 03)

क्रमांक प्रस्ताव	बैठक की कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पारित हुआ	विशेष

आज दिनांक 31-12-2015 को 11.00 AM पर न० पा० मण्डल की साधारण बैठक का आयोजन श्रीमती हीना बानो की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमें निम्न सदस्य महानुभाव उपस्थित थे आये।

1. श्रीमती - हीना - अध्यक्षा
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा - उपाध्यक्ष
3. श्रीमती - किरण सैनी - सदस्या
4. श्री - किशन लाल - सदस्य
5. श्रीमती - महेन्द्र - सदस्या
6. श्री संजय कुमार - सदस्य
7. श्रीमती - अनिता - सदस्या
8. श्री - गोविन्द प्रसाद शर्मा - सदस्य
9. श्रीमती - हेमलता - सदस्या
10. श्री - अफजल - सदस्य
11. श्री - अब्दुल अली - सदस्य
12. श्रीमती - सुमन शर्मा - सदस्या
13. श्रीमती - संगीता - सदस्या
14. श्री - रामावतार कथरियां - म० स०
15. श्री - मनसुख लाल - म० स०
16. श्री - सलीम खिलजी - म० स०
17. श्री - घीसाराम - म० स०

इस प्रकार निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य महानुभावों की उपस्थिति कोरम पूर्ण होने के पश्चात अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रथम प्रस्ताव के रूप में प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं०-01 — राज० न० पा० अधिनियम 2009 के अन्तर्गत समितियों के गठन पर विचार → श्रीमती अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव सं० 01 सदन के समक्ष रखा। जिस पर श्रीमान अधिशाषी अधिकारी महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि नवगठित मण्डल के सदस्यों की राजस्थान न० पा० अधिनियम 2009 के अन्तर्गत

Scanned with CamScanner

नवोदय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर-3 फोन : 62587-P.P.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, रतननगर (राज०)

सभा की कार्यवाही पंजिका

दिनांक 21-12-2015 सभा की किस्म साधारण समय 11.00 am कुल सदस्यों की संख्या 15+4=19 उपस्थित सदस्यों की संख्या 17

विषय (लाल स्याही में)

क्रमांक प्रस्ताव	बैठक की कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पारित हुआ	वि
	समितियों का गठन किया जाना है। जिसमें छ: या सात समितियां महत्वपूर्ण होती है। जिसकी मार्गदर्शिका निकाय द्वारा सभी सदस्य महानुभावों को उपलब्ध करवा दी गई थी। जिस पर श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा व श्री मुकेश कुमार शर्मा उपाध्यक्ष ने समितियों का गठन आगामी मण्डल की बैठक में किये जाने का अनुरोध किया। पर उपस्थित सदस्य महानुभावों ने उक्त अनुरोध का समर्थन करते हुए समितियों का गठन आगामी मण्डल बैठक में किये जाने का निर्णय लिया।		

प्रस्ताव सं० -02→: इमारत तामीर की पत्रावलियों पर विचार-।

श्रीमान अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव सं० 02 सदन के समक्ष रखा। जिस पर श्रीमान अ० अ० महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि न० पा० रतननगर क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों के द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये आवासीय एवं व्यावसायिक निर्माण कार्य शुरू किये गये थे। जिन पर उनको नोटिस न० पा० द्वारा दिये गये। जिस पर निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा आधे-अधूरे आवेदन/पत्रावली दस्तावेज प्रस्तुत की गयी हैं।

1. श्री महबूब / हाजी नानू काजी, वार्ड नं० 12 - आवासीय
2. श्रीमती शान्ति देवी / श्री छब्बू मल सैनी, वार्ड नं० 06 - आवासीय
3. श्री नानू / मनीर नीलगर, वार्ड नं० 08 - आवासीय
4. श्री विमल कुमार / ओम प्रकाश, - आवासीय
5. श्री महेश कुमार / रामचन्द्र जाट, वार्ड नं० 1 - आवासीय
6. श्री बिल्लू कुमार / बनवारी लाल, वार्ड नं० 05 - आवासीय
7. श्री उपेन्द्र कुमार / प्रभु दयाल टहल, वार्ड नं० 8 आवासीय
8. श्री प्रदीप कुमार / युगल किशोर, वार्ड नं० 06 - व्यावसायिक
9. श्री मोती लाल पुजारी, व्यवसायिक - व्यावसायिक
   सुरेका गेस्ट हाउस

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़ (राज०)

सभा की कार्यवाही पंजिका

दिनांक 21-12-2015 सभा की किस्म साधारण समय 11.00 AM कुल सदस्यों की संख्या

विषय (लाल स्याही में)

क्रमांक प्रस्ताव	बैठक की कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो
10	श्री संजय कुमार / मनोहर लाल नाई - व्यावसायिक	
11	श्री उमेश कुमार / शंकर लाल नांगल - व्यावसायिक	
12	श्री हरिराम / नोरंग लाल - व्यावसायिक	
	श्री मुकेश कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी पर समान रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। जो मकान पूर्व में बन चुके हैं उनको भी नोटिस दिये जावे। अन्यथा भवन निर्माण सम्बन्धी NOC के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जावे।	

श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ने श्रीमान अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि यदि कार्यवाही नहीं की जावेगी तो पहले नोटिस क्यों जारी किये गये? श्रीमान अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि इस न०पा० मण्डल के गठन से पूर्व जो भी निर्माण कार्य हो चुके हैं उनको वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

वर्तमान में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री रामावतार कयरियाँ ने कहा है कि प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिए। वर्तमान में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ने कहा कि पूर्व दस्तावेज तो किसी के पास भी नहीं मिलेंगे, जो दस्तावेज उपलब्ध हैं। उनकी जांच की जाकर स्व: विवेक से सन्तुष्टी कर सभी पर समान रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

Scanned with CamScanner

नवोदय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर-3 फोन : 62587 P.P.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, रतननगर (राज०)

सभा की कार्यवाही पंजिका

दिनांक 21-12-2025 सभा की किस्म साधारण समय 11:00 AM कुल सदस्यों की संख्या

विषय (लाल स्याही में)

क्रमांक प्रस्ताव	बैठक की कार्यवाही का विवरण

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर एवं मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराधों का शमन अधिनियम 1966 के अनुसार न्यूनतम 5% से 33½% तक शास्ति या प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर शास्ति सदन द्वारा आरोपित की जाकर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त प्रकरणों में 33½% शास्ति लगायी जानी उचित है तथा भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता है तो सक्षम अधिकारिता के स्तर से प्रकरण का निस्तारण करवाया जाना चाहिए। सदन को इस पर गम्भीरता से विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

प्रकरण पर गहन विचार-विमर्श के उपरान्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर उचित नियमों के तहत आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति के कराये गये अवैध निर्माण पर न्यूनतम 5% प्रतिशत शास्ति की राशि वसूल कर नियमितीकरण की कार्यवाही की जावे। तथा जिन पत्रावलियों में भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता है तो सक्षम अधिकारिता के स्तर से प्रकरण का निस्तारण कराया जावे।

प्रस्ताव सं० 03- BPL सूची 2003 में जोड़े गये नामों की पुष्टि पर विचार। श्रीमान अध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव सं० 03 सदन के समक्ष रखा। जिस पर श्रीमान अधिशाषी अधिकारी महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि निकाय

नवोदय प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर–3 फोन : 62587 P.P.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, रतननगर (राज०)

सभा की कार्यवाही पंजिका

दिनांक 21-12-2015 सभा की किस्म साधारण समय 11:00 AM कुल सदस्यों की संख्या

विषय (लाल स्याही में)

क्रमांक प्रस्ताव	बैठक की कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव
	क्षेत्र के 7 परिवारो द्वारा उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष BPL सूची 2003 में शामिल होने हेतु प्रस्तुत की गई अपील के विरुद्ध गठित समिति के निर्णयानुसार उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा निम्न सात परिवारो को BPL सूची मे शामिल किया गया है।	
1.	श्री असगर खां / फतु खां, वार्ड न० 01, रतननगर	
2.	श्री मो० साबीर / अनवर चेजारा, वार्ड न० 06, रतननगर	
3.	श्री विनोद कुमार / देवाराम प्रजापत, वार्ड न० 01, रतननगर	
4	श्री कालुराम / गोपाराम नायक, वार्ड न० 09 रतननगर	
5.	श्री अकरम / निजामुद्दीन चेजारा, वार्ड न० 06 रतननगर	
6	श्री दामोदर / नन्द लाल बंसियो, वार्ड न० 06 - रतननगर	
7	श्री महावीर प्रसाद / राधाकिशन शर्मा, वार्ड न० 13, रतननगर	
	जिनकी पुष्टि निकाय मण्डल द्वारा की जानी है जिस पर सदस्यों महानुभावो ने नाम अनुसार पत्रावलियों का अवलोकन कर परिवारों की आर्थिक स्थिति के अनुसार उचित मानते हुऐ BPL सूची 2003 की सूची मे शामिल किये गये परिवारो की सर्व-सम्मति से पुष्टि कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया।	
	अंत मे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही होने के कारण अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी सदस्य महानुभावो को धन्यवाद देते हुऐ बैठक समापन की घोषणा की गई।	

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
नगरपालिका, रतननगर (चूरू)

(हस्ताक्षर)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, रतननगर

Scanned with CamScanner